न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या – 202 / 2021

निर्णय दिनांक :– 24.01.2023

उनवानी दावा :

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक

–प्रार्थी–

बनाम

श्रीनारायण पुत्र श्री भूरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–
पेरोकार सरकार

श्री एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी

वाद अन्तर्गम 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी राज्य सरकार का प्रतिनिधी एवं लेण्ड होल्डर (भूमि धारक) होने से वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। वादी लेण्ड होल्डर होने से वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि आराजी भूमि खसरा नं. 1262 रकबा 1.10 है0 व खसरा नं. 1270 रकबा 0.17 है0 ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है जिसके प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी उक्त आराजी पर केवल कृषि उपज एवं कृषि कार्य के लिए अधिकृत है। प्रतिवादी उक्त आराजी को कृषि प्रयोजनार्थ के अलावा अन्य व्यवसायिक, औद्योगिक एवं अन्य कार्य प्रयोजनार्थ कार्य में लेने के लिए अधिकृत नहीं है। प्रतिवादी ने उक्त राजस्व खातेदारी आराजियत को कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं कर बजरी (रेत) को व्यवसायिक कार्य लाभ के लिए उक्त आराजियात में 1.10 व 0.17 है. भूमि में बजरी का ढेर लगा रखा है जिसमें प्रतिवादी उक्त आराजी का प्रयोग कृषि प्रयोजनार्थ नहीं करके व्यवसायिक प्रयोग कर रहे है जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजियत को कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग कर सकते है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजियत को कृषि कार्य की बजाय व्यवसायिक उपयोग लेने से राज० काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 177 के तहत नियम व शर्तों के अनुबंध का उल्लंघन किया है। इस कारण प्रतिवादीगण के उक्त आराजियात मे खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। भू.अ.नि मालेड़ा से उक्त आरजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर भू. अभि. नि० मालेडा की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण के उक्त आराजियत पर बजरी के ढेर लगा रखे है। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लेने के कारण यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद वर्णित आराजियत ग्राम रामथला पटवार हल्का मालेडा तहसील

व्यक्ति ग्राम रामथला में नहीं है। उक्त ख. नं. 1262 व 1270 पर गोपाल पुत्र ऊंकार जाति माबी का कब्जा चला आ रहा है एवं मौके पर दोनो ख. नं. में बजरी स्टॉक किया जाता रहा है। मौके पर नोटिस चस्पा कर उपस्थित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाये। गिरदावर हल्का के मौके पर्चे अनुसार ख. नं. 1262 व 1270 कृषि भूमि है। मौके पर उपरोक्त दोनो आराजीयात खसरा नम्बरो के सम्पूर्ण रकबे पर अवैध बजरी के ढेर पड़ा हुआ है। उक्त दोनो नम्बरो पर हमेशा बजरी स्टाक के काम ले रहे है तथा अन्य रिपोर्ट दिनांक 25.05.2021 की मौका रिपोर्ट में कृषि से अकृषि कार्य यथा धर्मकांटा, मकान व बजरी स्टॉक जैसे कार्य किये जा रहे है । उक्त दोनो खसरा नम्बर कृषि से अकृषि कार्य के उपयोग में आने के कारण धारा 177 की श्रेणी में आते है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि विवादित आराजी जिस खातेदार की भूमि है, अप्रार्थी अथवा उसके वारिसान अखबार प्रकाशन तामिल द्वारा भी उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। उक्त विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि कार्य के लिए अधिकृत है परन्तु इस विवादित भूमि को अतिक्रमण कर अकृषि कार्य व्यवसायिक उपयोग में लिया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध है। अतः वाके ग्राम रामथला तहसील देवली की जमाबन्दी संम्वत 2073–73 के खसरा नम्बर 1262 रकबा 1.10 है० व ख. नं. 1270 रकबा 0.17 है० भूमि से प्रार्थी श्री नारायण पुत्र भूरालाल जाति ब्राहम्ण का नाम विलोपित कर, उक्त भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि से किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हटाकर कब्जा राज लेवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली